न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 165 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली		1. पेमा के कायम मुकाम 1/1 कमला देवी पुत्री पेमाराम जाति दर्जी निवासी गुडा कलां तह0 सोजत हाल निवासी ईमरती बेरी, सोनीगरों का बास, निमाज तह0 जैतारण जिला ब्यावर। 2. रसाल कंवर पत्नि जबरसिंह 3. सन्तोष कंवर पुत्री जबरसिंह जातिगण–राजपूत निवासीगण गुड़ा रामसिंह तह0 सोजत जिला– पाली राज0। 4. सवाईसिंह राठौड़ पुत्र गीगसिंह जाति– राजपूत निवासी– गुड़ा रामसिंह तह0 सोजत हाल निवासी– सरदारसमंद रोड़, शहीद भगतसिंह नगर, पाली।

उप खण्ड अधिकारी ... जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक – 03/02/2025

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ारामसिंह, पटवार हल्का गुड़ारामसिंह, तहसील सोजत के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 अनुसार खसरा संख्या 172 रकबा 0.6400 है० किस्म बा०अ० की कृषि भूमि अप्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा शुद्धा दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार किस्म बा०अ० कृषि भूमि दर्ज है, किन्तु मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये सम्पूर्ण हिस्से पर आवासीय मकान एवं भूखण्ड आदि बनाकर आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी द्वारा भिन्न प्रयोजनार्थ आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है कृषि से अकृषि उपयोग में बिना अनुमति के संपरिवर्तन कराने अनियमित कार्य अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 तथा धारा 90 ए के नियमो के विपरित है, जिससे अप्रार्थी की भूमि के खातेदारी अधिकार मन्सुख (काबिल खारिज) किये जाकर भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा गुडारामसिंह के खसरा संख्या 172 रकबा 0.6400 है० की भूमि का कृषि भूमि से बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार मन्सुख किये जाकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पेश करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 02, 03 तथा 04 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से क्रमशः दिनांक 29.10.2024 तथा दिनांक 21.10.2024 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1/1 द्वारा बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.01.2025 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा गुडारामसिंह के खसरा संख्या 172 रकबा 0.6400 है० की भूमि का कृषि भूमि से बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार मन्सुख किये जाकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हल्का पटवारी रिपोर्ट तथा प्रस्तुत जमावंदी का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ा रामसिंह के ख.नं. 172 के बिना सक्षम स्वीकृति/आदेश के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार मन्सुख किया जाकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा रामसिंह पटवार हल्का गुड़ा रामसिंह तह0 सोजत के ख.नं. 172 के बिना सक्षम स्वीकृति/आदेश के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार मन्सुख किया जाकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने तथा कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)